समाहरणालय, कटिहार

आपदा प्रबंधन प्रशाखा

कँवल तनुज, भा०प्र०से०,
जिला पदाधिकारी, कटिहार
:- 06452-230581(O) 06452-230583(R)
:- +91-9473191375 फैक्स :- 06452230880
E-mail :- dm-katihar.bih@nic.in

—:: आदेश ::—

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के CFMS Order No.—1352/आ०प्र० दिनांक—12.05.2020 के द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2020—21 में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय मुख्य शीर्ष—2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष—02—बाढ़ चक्रवात, लघुशीर्ष—112—जनसंख्या का निष्क्रमण, उपशीर्ष—0002—NA, विपत्र कोड 39—2245021120002, Allotment ID—219821, मांग संख्या 39, विषय शीर्ष—35—01—नगद/वस्तुएँ के अन्तर्गत मो० 40,00,000.00 (चालीस लाख) रूपये मात्र आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त प्राप्त आवंटन में से अंचल अधिकारी, डंडखोरा को उनके नाम के सामने अंकित राशि को उपावंटित करते हुए निकासी करने की स्वीकृति दी जाती है।

निदेश दिया जाता है कि इस उपावंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक—2430/आ०प्र० दिनांक—01.08.2019 के आलोक में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्व वर्ष 2019 में आयी बाढ़ के परिणामस्वरूप संघर्षात्मक कार्य में प्रयुक्त नाविकों के भुगतान में हुए व्यय के भुगतान/समायोजन हेतु निर्गत किया जा रहा है। उपावंटित राशि का व्यय उसी मद मे किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

उपावंटित की गई राशि की निकासी Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग/जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार को अचुक रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

यह भी निदेशित किया जाता है कि कोषागार से राशि की निकासी कर बैक खाते में नही रखेगें तथा व्यय नही होने की स्थिति में दिनांक 15.03.2021 तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन भेजना भी सुनिश्चित करेंगे। यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक—2561/वि0(2) दिनांक—17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदा०/अंचल का नाम	विभाग से जिला को प्राप्त आवंटन	2245—02—112—0002—NA, जनसंख्या का निष्क्रमण (विषय शीर्ष—35— 01—नगद/वस्तुएँ) ईकाई मद में उपावंटित राशि			अभ्युक्ति (अवशेष राशि)
			पूर्व	वर्त्तमान	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंचलाधिकारी, डंडखोरा	40,00,000.00	-	47,260.00	47,260.00	39,52,740.00
	कुल योग	40,00,000.00	-	47,260.00	47,260.00	39,52,740.00

मो० (सैतालीस हजार दो सौ साठ) रूपये मात्र।

ह०/-
जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक 438/आ०प्र० II–01/2020, दिनांक 04/06/2020

प्रतिलिपि :— अंचल पदाधिकारी, डंडखोरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :— अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :— निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाहरणालय, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :— आई०टी० प्रबंधक, कटिहार को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :— मेकर/चेकर, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

E:\Rajat New Data\TB Das\Sub Allotment20-21.docx

Scanned by TapScanner